कार्यालय.

## सचिव, पाविधिक शिक्षा परिषद

#### उत्तर प्रदेश लखनक।

संस्याः- प्राशिष/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

नसन्तः दिनांकः 09/08/2021

### :-कार्यातय नाप-:

अखिल भारतीय तकतीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्की/फार्मसी काउन्सिल जीफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सब 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्रविधिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- <u>08/08/2021</u> को परिषद कार्यांतय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सब 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संधालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्षमा/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदी पर विधार करते हुए सब 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सब 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्ती के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4015-SAINIK COLLEGE OF PHARMACY VILL & POST-TAJOPUR MAU-275101

**क्र**0सं0

पाठ्यक्रम का नाम

DIPLOMA IN PHARMACY

ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-

परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेत्

22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता

अनुमोदित प्रवेश क्षमता

60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- √ सस्थाः ए०आई०सी०टी७ई०/पो७सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयो सभी शर्ली का पूर्णतः पालन करेगी।
- √ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विभिन्नमवाली 1992, संसेस्टर विभियमावली-2016 तथा
  अस्य निर्मित नियमाँ एव आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुरूक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुरूक तोन वर्षीय इजीठ पाठ्यक्रमों हेतु रुठ
  30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पहर्मेंसी पाठ्यक्रम हेतु रुठ- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय पार्मेंसी पाठ्यक्रम के
  अतिरिक्त) हेतु रुठ-22500.00/- प्रतिवर्ष शुरूक ही प्रत्येक राज्य/राज्ञ से प्राप्त किया आवेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य/राज्ञाओं से शुरूक के
  सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्मेत किये जाने वाले शासनादेश प्रमानी होगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा।
  कीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सब 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निपारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर्द सागू होगी।
- √्रह्या को (3000 प्रविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावती-2000 की शर्ती का जनुगतसन करना होगा।
- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह आने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- अस्था को समय-समय पर निर्गत शास्त्रनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुक्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना अवश्यक (गेगा)
- संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बलाये गये विधि/नियमो/अधिनियमो/शासलादेशी/निर्देशी एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प0, संयुक्त प्रतेश परीक्षा परिषद, 30प0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प0 द्वारा बलाये गये तियमी, विलियमी, आदेशी, निर्देशी का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोम्यु इत प्रामेंसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. तई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था रुवयं उत्तरदायी होगी। पाविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश

रोक्षा परिषद, प्रविधिक शिक्षा मिदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विमाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा टायर वाद के संबंध में मा: ज्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपृत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपृत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

डिप्परीमा इन फार्मेरी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0ती0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यासय को उपलब्ध कराना होगा अन्यया उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीचे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- उटलर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमी का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- √ संस्था को अपने वेबताइट पर संस्था की समस्त सूचनाए जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- √ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेशिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित
  करनी होगी।
- √ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक उपलब्ध कराये गये
  अभिलेख, भूमि-अवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को
  इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की
  अनुशंसा की जायेगी।
- √ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अस्य साज-सज्जा ए0आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/ परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- मम्बद्धता शत् का अनुपालन न किये जाने अथवा शतौं का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनीत कुमार सोनकर)

तथिव

पृष्ठसंग- पाशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

वतिनिष:-

प्रधानाचार्य/जिदेशक.SAINIK COLLEGE OF PHARMACY VILL & POST-TAJOPUR MAU-275101

(सुनीस कुमार सोलकर)

सचिव

EC No. / Item No./ Institution Name /ID/ Course	Examining Authority/ Huspital	Decisions of 371 EC (8.8.2022)		
PCI - 3745  D.Phurm  B.Pharm	B.Pharm The Registrar De APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	It was decided to instruct the institution to submit compliance of deficiencies pointed out in inspection report with documentary evidence particularly regarding appointment of qualified Principal and teaching staff as per the statutory provisions of –  • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014  • The Bachelor of Pharmacy (B.Pharm) Course Regulations, 2014.  On receipt of above compliance, the approval of B.Pharm course will be considered.		
371 EC/436 UP-802/ 2022-2023 Sninik College Of Pharmacy int, TAJOPUR PANIYARA ROAD, TAJOPUR, MAII, 275101 PCI - 3610 D,Pharm B,Pharm	D.Pharm The Secretary Ustar Pradesh Board of Technical Education Guru. Govind Singh Marg Lucknow Uttar Peadesh	D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 scademic session for 60 admissions for D.Pharm course. It was noted that institution has failed to disburse salary of teaching faculty as per statutory provisions of:  • Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014,  • Education Regulations, 1991 / 2020 for the Diploma course in Pharmacy  It was further decided to instruct the institution to submit the compliance with documentary evidences (form 16) of each faculty for pointed deficiencies.  B.Pharm  It was noted that institution has failed to submit NOC of State Government		
371 EC/437 UP-803/ 2022-2023 Saroj College Of Pharmacy HOUSE, SULTANPUR ROAD, VILLAGE AHMAMAU POST AHMIAMAU, LUCKNOW,	D.Pharm The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	for B.Pharm course. In view of above, it was decided to reject the application for B.Pharm course.  D.Pharm Extend approval upto 2022-2023 nesdemic session for 60 admissions for D.Pharm course.		

# PHARMACY COUNCIL OF INDIA



E - MAIL : registrar@pci.nic.in

WEBSITE: www.pci.nic.in
Telephone: 011-61299900

011 - 61299901, 011 - 61299902

011-61299903

**NBCC Centre, 3rd Floor** 

**Plot No.2, Community Centre** 

**Maa Anandamai Marg** 

Okhla Phase I

**NEW DELHI - 110020** 

## **DECISION LETTER**

Institute Name / Inst ID Sainik College Of Pharmacy / PCI-3610

State UTTAR PRADESH

**District** MAU

**Sub-District** 

Village/Town/City TAJOPUR
Pin Code 275101



With reference to the subject cited above i am directed to convey the approval of PCI as per Following Details

Course	Name of Affiliation body/University	Decision	Approval Status	Approval Upto	Approval Intake
B.Pharm	The Registrar Dr APJ Abdul Kalam Technical University Institute of Engineering and Technology Campus Sitapur Road Lucknow	B.Pharm Grant approval for 2023-2024 academic session for the conduct of 2nd year for 60 admissions for B.Pharm course. Allow 60 admissions in 2023-2024 academic session in 1st year.	Approved	2023-2024	60
D.Pharm	The Secretary Uttar Pradesh Board of Technical Education Guru Govind Singh Marg Lucknow Uttar Pradesh	D.Pharm Extend approval upto 2023-2024 academic session for 60 admissions for D.Pharm course.	Approved	2023-2024	60

**Date** 12th May 2023

Clerk as a sur sur

For

(I/C) Registrar-cum-Secretary

PCI

# Copy to

- i) Registrar of the University
- ii) Principal of the college
- iii) Secretary/Chairman of the Trust/Society
- iv) Guard File (PCI)

Note: Validity of the course details may be verified at www.pci.nic.in